International Journal of Humanitiesandsocialscience Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 30-11-2024, Accepted: 31-12-2024, Published: 15-01-2025
Volume 11, Issue 1, 2025, Page No. 8-13

पीसमेकिंग, पीसकीपिंग एवम् पीसबिल्डिंगः एक अवधारणात्मक विश्लेषण

डॉ शिव हर्ष सिंह[1], शिवम् त्रिपाठी[2]

[1] प्रोफ़ेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, ईश्वर शरण पी0 जी0 कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत
[2] शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, ईश्वर शरण पी0 जी0 कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

यह लेख संयुक्त राष्ट्र शान्ति अनुरक्षण संक्रियाओं के तीन प्रमुख अवधारणाओं 'पीसमेकिंग', 'पीसकीपिंग' तथा 'पीसबिल्डिंग' के व्यापक विश्लेषण पर केन्द्रित है तथा यह शान्ति एवम् इसके सकारात्मक एवम् नकारात्मक स्वरूप की व्याख्या प्रस्तुत करता हैं। संयुक्त राष्ट्र शान्ति अनुरक्षण संक्रियाएँ पिछले 76 वर्षों से विश्व में शान्ति एवम् सुरक्षा स्थापित करने के प्रमुख उपकरण के रूप में कार्य कर रही है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् महाशक्तियों (USA & USSR) के बीच आपसी मनमुटाव तथा अविश्वास के कारण उत्पन्न शीतयुद्ध के दौरान वीटो शक्ति ने सुरक्षा परिषद् की क्रियाशीलता को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया जिसके परिणामस्वरूप पीसकीपिंग मिशन अस्तित्व में आया। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र शान्ति अनुरक्षण संक्रियाएँ बहुआयामी प्रक्रिया बन गयी हैं जिसका प्रयोग न केवल शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिये किया जाता है बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने, नागरिकों की रक्षा करने, कानून के शासन की पुनर्स्थापना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक–आर्थिक पुनर्निर्माण आदि कार्य भी सम्पन्न किये जाते हैं।

मूलशब्दः संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO), सुरक्षा परिषद्, पीसमेकिंग, पीसकीपिंग, पीसबिल्डिंग

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक समृद्धि एवम् खुशहाली के लिये स्थाई शान्ति एक मूलभूत आवश्यकता है, परन्तु वैश्विक स्तर पर अनेक प्रकार के युद्ध एवम् नृजातीय संघर्ष होते रहे हैं जो वैश्विक शान्ति एवम् सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन संघर्षों में व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन, महिलाओं एवम् बच्चों के खिलाफ अमानवीय एवम् जघन्य अपराध तथा बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होती है। इन्हीं खतरों से निपटने के लिये द्वितीय विश्वयुद्ध (1939–45) के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) का गठन किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य'' अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवम् सुरक्षा बनाये रखने तथा सामूहिक प्रयासों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के समक्ष आने वाले खतरों की रोकथाम एवम् उन्मूलन करना है।''[1] अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति बनाये रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद् को सौंपी गयी थी परन्तु शीतयुद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच आपसी मतभेद पैदा हुए जिसके कारण सुरक्षा परिषद् की क्रियाशीलता प्रभावित हुई। इसी के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र पीसकीपिंग मिशन की शुरूआत हुई। इसका प्रयोग सर्वप्रथम् 1948 में अरब–इजराइल संघर्ष के दौरान मध्यपूर्व में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पीसकीपिंग मिशन जो कि वर्तमान समय में शान्ति स्थापित करने के प्रमुख उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है परन्तु संयुक्त राष्ट्र चार्टर में विशेष रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया है। पीसकीपिंग मिशन परम्परागत रूप से संयुक्त राष्ट्र चार्टर-VI (विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान, अनु. 33–38) से सम्बद्ध है, परन्तु सुरक्षा परिषद को पीसकीपिंग मिशन को लागू करने के लिये चार्टर–VI की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र चार्टर-VII (शान्ति के लये खतरे, शान्ति भंग और आक्रामकता के कृत्यों के सम्बन्ध में कार्यवाही (अनु. 39–51) का प्रयोग संघर्षरत क्षेत्रों में शान्ति की स्थापना के लिये प्रयोग करता है, जहाँ पर राज्य लोक–व्यवस्था और सुरक्षा को स्थापित करने में विफल रहता है। संयुक्त राष्ट्र पीसकीपिंग मिशन विश्व में शान्ति और सुरक्षा को स्थापित करने के प्रभावी उपकरण है। सैद्धान्तिक रूप से शान्ति सैनिकों की तैनाती संघर्ष विराम को लागू करवाने तथा प्रारम्भिक स्तर पर शान्ति निर्माण (पीसबिल्डिंग) गतिविधियों में शामिल होते हैं। वर्तमान समय में बहुआयामी शान्ति अभियान राजनीतिक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने, विद्रोही सैन्य गुटों का निरस्त्रीकरण नागरिकों की रक्षा, कानून का शासन स्थापित करने तथा मानवाधिकारों का संरक्षण तथा संवर्द्धन करने का प्रयास करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के शान्ति अभियानों को हम मुख्यतः तीन धारणाओं 'पीसमेकिंग', 'पीसकीपिंग' तथा 'पीसबिल्डिंग' द्वारा समझ सकते हैं। इसके साथ ही शान्ति क्या है? तथा इसके विविध पहलुओं पर विचार किया गया है।

शान्ति क्या है?

शान्ति एक जटिल एवम् बहुआयामी अवधारणा है। यह सदैव से मानवता के सर्वोच्च मूल्यों में से एक रही है। इसी को दर्शाते हुए मार्टिन लूथर ने कहा है ''शान्ति सभी न्याय से अधिक महत्वपूर्ण है।''[2] एक स्थिर एवम् समृद्ध समाज के लिये शान्ति प्राथमिक आवश्यकता है। साधारणतः शान्ति को 'संघर्ष, हिंसा या युद्ध की अनुपस्थिति' के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी भी समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नति के लिये एक हिंसा मुक्त तथा परस्पर सद्भाव एवम् सहयोग पर आधारित समाज की आवश्यकता होती है। एक हिंसा युक्त समाज अस्थिर एवम् अल्पकालिक होता है। शान्ति की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए सिसरो ने कहा है ''मैं अब तक लड़े गये सबसे न्यायपूर्ण युद्ध की अपेक्षा सबसे अधिक अन्यायपूर्ण शान्ति को पसन्द करता हूँ।''[3] संघर्षशील समाज में उद्योग, संस्कृति, सभ्यता आदि के विकास की संभावनाएँ धूमिल हो जाती हैं तथा मानव जीवन भी अस्थिर एवम् अल्पकालिक होता है। हॉब्स ने 'लेवियाथन' में अशान्ति एवम् संघर्ष की अवस्था (प्राकृतिक अवस्था) में मानव जीवन को 'एकाकी, निर्धन, घृणित, पाश्विक एवम् अल्प'[4] के रूप में परिभाषित किया है। अतः स्पष्ट है कि स्थाई शान्ति सामाजिक–आर्थिक उन्नति तथा मानव व्यक्तित्व के विकास के लिये मूलभूत आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शान्ति को हम सकारात्मक एवम् नकारात्मक दोनों रूपों में समझ सकते हैं– नकारात्मक शान्तिः– नकारात्मक शान्ति को हम केवल युद्ध, संघर्ष एवम् हिंसा की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित करते हैं। जोहान गालटुंग द्वारा गढ़ी गयी नकारात्मक शान्ति अनिवार्य रूप से ''हिंसा या प्रत्यक्ष संघर्ष, विशेष रूप से युद्ध की अनुपस्थिति है।''[5] यह शान्ति का एक सरल एवम्

प्रारम्भिक चरण है जो मुख्य रूप से संघर्ष की समाप्ति पर केन्द्रित है। नकारात्मक शान्ति में संघर्ष की समस्याओं को जड़ से नहीं हल किया होता है ऐसे में

संघर्ष के पुनः प्रारम्भ होने की संभावना बना रहती है। नकारात्मक शान्ति समझौते के पश्चात् हिंसा न होने का परिणाम है, न कि आपसी समझ, सहयोग एवम् न्यायपूर्ण सम्बन्धों का। नकारात्मक शान्ति में अक्सर असमानता, भेदभाव, अन्याय और अविश्वास की समस्याएँ बनी रहती हैं जो कि संघर्ष को पुनः प्रारम्भ करने को प्रोत्साहित करती है। सकारात्मक शान्तिः– सकारात्मक शान्ति को अक्सर स्थाई शान्ति के रूप में देखा जाता है। यह हिंसा की अनुपस्थिति से आगे की अवधारणा है। प्रमुख शान्ति सिद्धान्तकार जोहान गालटुंग ने सकारात्मक शान्ति को 'अप्रत्यक्ष और संरचनात्मक हिंसा की अनुपस्थिति' के रूप में परिभाषित किया है। इसका अर्थ है कि समाज में उन संस्थागत असमानताओं, अन्याय एवम् भेदभाव को दूर किया जाता है जो अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा के कारण बनते हैं। सकारात्मक शान्ति का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ सामाजिक न्याय, समानता और सामंजस्य स्थापित हो, और प्रत्येक व्यक्ति के लिये अवसर एवम् कल्याण की संभावना हो। सकारात्मक शान्ति पूर्ण समझौता, शान्तिपूर्ण राज्य एवम समाज का निर्माण करेगा। यह प्रत्येक समाज के लिये सुरक्षा एवम् अधिकारों के विभिन्न स्तर प्रदान करता है तथा टिकाऊ एवम् समावेशी समाज के निर्माण की आधारशिला रखता है। सकारात्मक शान्ति प्राचीन भारतीय दर्शन के 'वसुधैव कुटुम्बक म्' की धारणा को सम्बोधित करता है–

'अयं बन्धुरयं नेति गणना लघु चेतसाम्।[6]
उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।।

(यह मेरा बन्धु है और यह नहीं है, इस तरह की गणना संकुचित मन वाले लागे करते हैं। उदार ह्रदय वालों के लिये सम्पूर्ण धरती ही परिवार है।) वसुधैव कुटुम्बकम् के इस पवित्र भाव को आत्मसात् करने से ही विश्व बन्धुत्व का भाव प्रबल होगा। यह व्यक्तिगत या पारिवारिक हितों पर सामूहिक कल्याण को प्राथमिकता देने की बात करता है। यह दूसरे के कल्याण के बारे में सोचने, वैश्विक एकजुटता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहित करता है। यह जलवायु परिवर्तन, सतत् विकास, नस्लीय हिंसा, धार्मिक कट्टरता, क्षेत्रीयता, न्याय, समानता, लैंगिक विभेद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को सम्बोधित करने का प्रयास करता है। पीसमेकिंग, पीसकीपिंग एवम् पीसबिल्डिंगः अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों एवम् क्षेत्रीय संघर्षों के शान्तिपूर्ण समाधान के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मुख्यतः इन्हीं तीन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया है। इन तीनों का वर्णन निम्न है–

पीसमेकिंग (Peacemaking): पीसमेकिंग में आमतौर पर जारी संघर्ष को सम्बोधित करने के उपाय शामिल होते हैं और इसके लिये संघर्षरत पक्षों को बातचीत के समझौते पर लाने के लिये कूटनीतिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। जोहान गालटुंग ने पीसमेकिंग को परिभाषित करते हुए कहा है ''पीसमेकिंग संघर्ष को समाप्त करने और संघर्ष में शामिल पक्षों के बीच एक नये सम्बन्ध स्थापित करने की प्रक्रिया है।''[7] संयुक्त राष्ट्र महासचिव सुरक्षा परिषद् या महासभा के अनुरोध पर बातचीत या समझौते को सुगम बनाने के लिये अपने अच्छे कार्यालय (Good Offices) का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अन्तर्गत संघर्षरत पक्षों से बातचीत के लिये शान्तिदूतों की नियुक्ति की जा सकती है। शान्तिदूत (Peacemakers) के अन्तर्गत सरकारें, राज्य के समूह, क्षेत्रीय संगठन, राजदूत, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति या संयुक्त राष्ट्र भी हो सकते हैं। पीसमेकिंग के कार्य अनौपचारिक या गैर सरकारी समूह तथा स्वतंत्र रूप से काम करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किये जा सकते हैं। ह्यू मियाल के अनुसार ''पीसमेकिंग वार्ता, मध्यस्थता तथा अन्य तीसरे पक्ष की सहायता के माध्यम से संघर्षों को हल करने की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य एक स्थाई शान्ति स्थापित करना है।''[8] इसी प्रकार ओलिवर राम्सबोथम के अनुसार ''पीसमेकिंग संघर्ष के मूल कारणों को सम्बोधित करने और संघर्ष में शामिल पक्षों के बीच एक नये सम्बन्ध स्थापित करने की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य एक स्थाई शान्ति स्थापित करना है।''[9] पीसमेकिंग की अवधारणाा संयुक्त राष्ट्र चार्टर–VI विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान (अनु. 33–38) से सम्बन्धित है। इसमें उन विवादों को हल करने के तरीके बताये गये हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवम् सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। सर्वप्रथम इसमें बातचीत, समीक्षा मध्यस्थता/पंचनिर्णय, न्यायिक समाधान, क्षेत्रीय एजेसियाँ या व्यवस्थाओं का सहारा या अपनी पसन्द के अन्य शान्तिपूर्ण साधनों द्वारा समाधान का प्रयास करेंगे।[10] पीसमेकिग के कुछ उदाहरण दिये जा सकते हैं, जैसे वर्ष 1993 में अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) के बीच 'ओस्लो समझौता'' जो संघर्ष को समाप्त करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इसी प्रकार डेटन समझौता (Daytonagreement, 1995) बोस्निया और हार्जेगोविना के बीच गृह युद्ध को समाप्त करने के लिये किया गया था। इस समझौते को सम्पन्न कराने में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। ये समझौते पीसमेकिंग के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। पीसमेकिंग के प्रमुख सिद्धान्त–

1. संवाद (Dialogue):–
शान्ति की स्थापना के लिये संघर्षरत पक्षों के बीच खुले और ईमानदार संवाद होना आवश्यक है। संवाद के माध्यम से ही पक्षों के बीच समझ बढ़ाई जा सकती है और विवादों का समाधान खोजा जाता है।

2. मध्यस्थता (Mediation):–
पीसमेकिंग में शान्ति कायम करने के लिये मध्यस्थता सर्वप्रमुख उपकरण है। मध्यस्थता का कार्य किसी तीसरे पक्ष, जैसे– कोई तटस्थ देश, राजदूत, संयुक्त राष्ट्र या अन्य कोई क्षेत्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा किया जाता है। मध्यस्थता के द्वारा संघर्षरत पक्षों के बीच वार्त्ता करायी जाती है तथा संघर्ष के कारणों के निदान के उपाय किये जाते हैं। यह प्रक्रिया निष्पक्षता आरै तटस्थता की मागं करती है।

3. समझौता और सहमतिः–
पीसमेकिग में समझौता और सहमति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अन्तर्गत विभिन्न पक्ष अपने–अपने कुछ हितों को त्याग कर साझा हितों पर सहमत होते हैं तथा विवाद के मुद्दे को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करते हैं। यह प्रक्रिया स्थाई शान्ति की दिशा में सकारात्मक प्रयास होती है। चुनौतियाँः–

- यदि संघर्ष में शामिल कोई पक्ष शान्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है तो यह प्रक्रिया बाधित हो सकती है।
- विभिन्न पक्षों के बीच अविश्वास एवम् पूर्वाग्रह शान्ति प्रयासों को विफल कर सकती है।
- बाहरी एवम् आंतरिक हित समूह अपने क्षणिक लाभों के लिये शान्ति प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
- सांस्कृतिक एवम् भाषायी विविधता विभिन्न पक्षों के बीच बातचीत एवम् आपसी समझ को प्रभावित करती है।
- शक्ति संतुलन के प्रभावित होने की आशंका से भी सम्बन्धित पक्ष शान्ति प्रक्रिया से पीछे हट सकते हैं।

पीसकीपिंग (Peacekeeping):– पीसकीपिंग एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय उपकरण है जिसका उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवम्

सुरक्षा को बनाये रखने के लियेकिया जाता है। पीसकीपिंग संयुक्त राष्ट्र के चार्टर VI और VII के अन्तर्गत आता है। इसका प्रमुख उद्देश्य सघर्षरत क्षेत्रों में शान्ति सैनिकों (सैन्य एवम् नागरिक) के माध्यम से संघर्षविराम करवाना, शान्ति समझौते को लागू करवाना तथा सम्बन्धित पक्षों के बीच विश्वास बहाली में सहायता करना है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुतरस–बुतरस घाली ने पीसकीपिंग को परिभाषित करते हुए कहा 'पीसकीपिंग संघर्ष क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की उपस्थिति है, जिसमें सामान्यतः सैन्य कर्मचारी तथा पुलिस कर्मी और साथ ही साथ नागरिक कर्मी भी शामिल होते है।''[11] वर्तमान समय में पीसकीपिंग एक बहुआयामी प्रक्रिया बन गयी है जिसका प्रयोग न केवल शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने के लिये किया जाता है बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने, नागरिकों की रक्षा करने, सैन्य लड़ाकोंके निरस्त्रीकरण करने में सहायता करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना तथा उसे बढ़ावा देना, कानून के शासन को बहाल करने तथा राज्यसत्ता की पुनर्बहाली में सहायता करने के लिये किया जाता है। पीसकीपिंग अभियानों का प्रारम्भ शीतयुद्ध के दौरान हुआ था। शीतयुद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच आपसी मतभेद उत्पन्न हुए जिसके कारण सुरक्षा परिषद् की क्रियाशीलता प्रभावित हुई। इसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र पीसकीपिंग की शुरूआत हुई। 1994 से 2013 के बीच इंटरनेशनल पीसकीपिंग के सम्पादक माइकल पुघ के अनुसार– संयुक्त राष्ट्र पीसकीपिंग की शुरूआत मुख्यतः ''अन्तर्राष्ट्रीय संकट प्रबन्धन के प्रति दृष्टिहीन प्रक्रिया के रूप में हुई थी।''[12] पीसकीपिंग मई 1948 में प्रारम्भ हुई जब सुरक्षा परिषद् ने मध्य–पूर्व में संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षकों की तैनाती को अधिकृत किया। मई 1948 को सुरक्षा परिषद् ने स्वीडिश काउण्ट फोल्के बर्नाडोट को फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया। बर्नाडोट के अनुरोध पर महासचिव त्रिग्वेली ने युद्ध विराम की निगरानी में मध्यस्थ की सहायता के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा बल के 50 सदस्यों को भेजा। यह मिशन संयुक्त राष्ट्र युद्धविराम पर्यवेक्षण संगठन (UNTSO) के नाम से जाना गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र पीसकीपिंग के रूप में मान्यता दी गयी। प्रारम्भिक सैन्य मिशनों में निहत्थे सैन्य पर्यवेक्षक तथा हल्के हथियारों से लैस सैनिक शामिल थे जिसकी मुख्य रूप से निगरानी, रिपोर्टिंग तथा विश्वास निर्माण भूमिकाएँ थी। तब से लके र वर्तमान समय तक 72 शान्ति मिशनों की तैनाती की जा चुकी है तथा वर्तमान में 11 शान्ति मिशन अभी सक्रिय हैं। इन पीसकीपिंग मिशनों में विश्व के 120 से अधिक देशों के लाखों सैन्य कर्मियों, पुलिस बल तथा अन्य नागरिकों कर्मियों ने भाग लिया है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवम् सुरक्षा की स्थापना के लिये शान्ति सेना के द्वारा किये गये सराहनीय प्रयासों के कारण वर्ष 1988 को इसे शान्ति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।

पीसकीपिंग के सिद्धान्तः– पीसकीपिंग मिशन मुख्यतः तीन बुनियादी सिद्धान्तों के आधार पर कार्य करते हैं। इन बुनियादी सिद्धान्तों को पीसकीपिंग के 'पवित्र त्रिमूर्ति' कहा जाता है। इसमें ''पार्टियों की सहमति, निष्पक्षता तथा आत्मरक्षा एवम् मैण्डेट की रक्षा के अलावा बल प्रयोग न करना'' शामिल है। ये पीसकीपिंग की आधारशिला हैं। ये बुनियादी सिद्धान्त पीसकीपिंग को शान्ति प्रवर्तन (Peace enforcement) से अलग बनाते है, जिसमें संघर्ष में एक पक्ष बनने की संभावना बनी रहती है। पीसकीपिंग के प्रमुख सिद्धान्त निम्न हैं–

1. पार्टियों की सहमति (Consent of Parties):–

संयुक्त राष्ट्र पीसकीपिंग मिशनों में सेनाओं की तैनाती संघर्ष में शामिल पक्षों की सहमति के बाद ही किया जाता है। ऐसी सहमति के अभाव में किसी संघर्ष में एक पक्ष बनने का जोखिम होता है। यह जोखिम कम हो इसके लिये आवश्यक है कि राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल पार्टियों की सहमति प्राप्त की जा सके ताकि पीसकीपिंग मिशनों को जनादेश की स्वीकृति हो सके। पक्षों की सहमति न मिलने या बलपूर्वक सहमति, मिशन के मैण्डेट में बाधा उत्पन्न कर सकती है या मिशन की पूर्ण वापसी की मांग हो सकती है जैसा कि चाड (Chad) में हुआ था। ऐसे परिणाम पीसकीपिंग मिशन के लिये बड़े खतरे पैदा करते हैं तथा शान्ति सैनिकों को जोखिम बढ़ जाता है और मिशन बिना किसी स्पष्ट निकास रणनीति के लम्बा तथा खर्चीला हो जाता है।[13] सहमति ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राष्ट्र पीसकीपिंग मिशनों की पहचान रही है। पहला संयुक्त राष्ट्र अभियान, UNEFI (1956) स्वेज संकट के दौरान मिस्र की सहमति पर स्थापित किया गया था। हालांकि यह मिशन इजराइल में नहीं तैनात किया गया था क्योकि इजराइल ने अपनी सहमति नहीं प्रदान की थी।[14] संघर्ष के बाद के माहौल में पार्टियों के बीच विश्वास की कमी कई बार सहमति को अनिश्चित एवम् अविश्वसनीय बना देती है जो पीसकीपिंग के औचित्य को चुनौती प्रदान करती है। पीसकीपिंग मिशन को लगातार किसी गड़बड़ी का पता लगाते रहना चाहिए और संघर्षरत पार्टियों के बीच आपसी तालमले बिठाने का प्रयास करते रहना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों की सहमति पीसकीपिंग मिशनों को इस बात की स्वतंत्रता प्रदान करती है कि वे अपने सैन्य एवम् नागरिक दोनों अभियानों को सुचारू रूप से कर सके। इसके लिये आवश्यक है कि मुख्य पक्षों की सहमति को न खोएँ तथा यह सुनिश्चित करें कि शान्ति प्रक्रिया आगे बढ़ती रहे। इसके लिये पीसकीपिंग कर्मियों को मिशन क्षेत्र मे इतिहास और प्रचलित रीति–रिवाजों, संस्कृति तथा साथ ही साथ पार्टियों के विकसित होते हितों और प्रेरणा का आकलन करने की पूरी समझ होनी चाहिए। निष्पक्षता (Impartiality):– संयुक्त राष्ट्र पीसकीपिंग मिशनों को बिना किसी पार्टी का पक्ष लते हुए अपने मैण्डेट को लागू करना चाहिए। मुख्य पक्षों की सहमति और सहयोग को बनाये रखने के लिये निष्पक्षता महत्वपूर्ण है, परन्तु इसे तटस्थता या निष्क्रियता के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। निष्पक्षता को लम्बे समय से पीसकीपिंग की 'जीवन रक्त'; और सचिवालय का 'हृदय और आत्मा' माना जाता रहा है। पीसकीपिंग मिशन को संघर्ष में शामिल पार्टियों के बीच सद्भाव बनाने के लिये ऐसी गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो स्पष्ट रूप से शान्ति प्रक्रिया के खिलाफ काम करता हो। जिस प्रकार एक अच्छा रेफरी निष्पक्ष होता है परन्तु वह नियमों का उल्लंघन करने वालों को दण्डित करता है। उसी प्रकार पीसकीपिंग मिशनों को उन पक्षों के कार्यों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो शान्ति प्रक्रिया के मानक एवम् सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हों, जिन्हें पीसकीपिंग कायम करता हो। वर्ष 2000 में प्रकाशित ब्राहिमी रिपोर्ट में बताया गया है जहाँ शान्ति समझौते का एक पक्ष स्पष्ट रूप से और निर्विवाद रूप से इसकी शर्तों का उल्लंघन कर रहा हो, वहाँ संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार जारी रखने से सर्वोत्तम स्थिति में अप्रभावित आ सकती है और सबसे खराब स्थिति में यह बुराई के साथ मिलिभगत के समान हो सकता है। पार्टियों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने और बनाये रखने की आवश्यकता के बावजदू एक शान्ति मिशन को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो इसकी निष्पक्षता की छवि के साथ समझौत कर सकती है। किसी मिशन को गलत व्याख्या या परिणाम के डर से निष्पक्षता के सिद्धान्त के कठोर अनुप्रयोग से पीछे नहीं हटना चाहिए, परन्तु कार्य करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इसका आधार अच्छी तरह स्थापित एवम् विवेकपूर्ण है। ऐसा करने में विफलता पीसकीपिंग की वैधता एवम् विश्वसनीयता को कमजोर कर सकती है। इन मिशनों को कोई भी कार्य करने से पहले उसके औचित्य और उचित प्रकृति के अनुसार पारदर्शिता, खुलेपन और प्रभावी संचार के साथ ऐसा करना चाहिए। निष्पक्षता और भी जटिल एवम् चुनौतीपूर्ण हो गयी है क्योंकि संघर्ष अधिक जटिल एवम्

बहुआयामी हो गये हैं तथा पीसकीपिंग के मैण्डेट का विस्तार हुआ है जबकि शान्तिरक्षक परम्परागत रूप से आत्मरक्षा में ही बल प्रयोग तक सीमित थे। आत्मरक्षा एवम् मैण्डेट की रक्षा के अलावा बल प्रयोग न करनाः आत्मरक्षा को छोड़कर बल प्रयोग न करने का सिद्धान्त वर्ष 1956 से चला आ रहा है। आत्मरक्षा की धारणा में बाद में पीसकीपिंग को बल पूर्वक रोकने के प्रयासों का प्रतिरोध शामिल किया गया जोकि सुरक्षा परिषद् के आदेशों के तहत अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संचालन के लिये किया गया हो। जिन वातावरणों में पीसकीपिंग की तैनाती की जाती है उनमें अक्सर मिलिशिया, आपराधिक संगठन और माहौल बिगाड़ने वाले गिरोहों की उपस्थिति होती है जो सक्रिय रूप से शान्ति प्रक्रिया को कमजोर करने या नागरिक आबादी के लिये खतरा पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिये सुरक्षा परिषद् ने शान्ति सैनिकों को प्रभावी अधिकार प्रदान किये है। वर्ष 1999 के बाद संयुक्त राष्ट्र पीसकीपिंग मिशनों को नागरिक सुरक्षा के लिये बल प्रयोग करने का अधिकार दिया गया। इसमें निष्पक्षता की निष्क्रिय अवधारणा से 'मुखर अवधारणा' में बदलाव हुआ जिसमं शान्ति सैनिकों के अधिकारों को मूल्यों के अधिक व्यापक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्द्धन को प्राथमिकता दी गयी। रवांडा (1994) और सेब्रेनिका (1995) में जनसंहार तथा पीसकीपिंग की विफलता के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने यह कहा कि ''संगठन ने यह सीख लिया है कि शान्ति स्थापना के लिये निष्पक्षता एक महत्वपूर्ण शर्त है, लेकिन यह जनादेश के निष्पादन में निष्पक्षता होनी चाहिए न कि युद्धरत पक्षों के बीच बिना सोचे समझे तटस्थता।''15 नागरिकों की सुरक्षा अविश्वसनीय रूप से एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। निष्पक्षता बनाये रखते हुए सशस्त्र सेनाओं के द्वारा नागरिकों की रक्षा के लिये बल प्रयोग करना कुछ स्थितियों में सफल रहा है। शान्ति सैनिकों के साथ–साथ संयुक्त राष्ट्र पुलिस (UNPOL) घटकों ने नागरिकों की सुरक्षा (POC) जनादेशों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। वर्ष 1999 में नागरिकों की सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की पहली रिपोर्ट ने इसे मान्यता दी, जिसमें कहा गया कि कमजोर आबादी की रक्षा के लिये सेना के साथ–साथ नागरिक पुलिस के सहयोग की भी आवश्यकता है। नागरिकों की सुरक्षा के दायित्वों पर ब्राहिमी रिपोर्ट (2000) में स्पष्ट कहा गया है– शान्ति सैनिक (सैनिक और पुलिस) जो नागरिकों के खिलाफ हिंसा देखते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी सिद्धान्तों के समर्थन में अपने साधनों के भीतर इसे रोकने के लिये अधिकृत माना जाना चाहिए।''[16] पीसकीपिंग में बल प्रयोग तभी करना चाहए जब समस्या के समाधान के अन्य साधन विफल हो जायें। बल प्रयोग में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें नागरिकों को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे और प्रयास हो कि यह नागरिक सहमति के साथ हो तो बेहतर है। पीसकीपिंग में बल प्रयोग के सदैव राजनीतिक निहितार्थ होते हैं और यह असाधारण परिस्थितियों को जन्म देता है। पीसकीपिंग को सदैव हिंसा में कमी लाने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिये अहिंसक साधनों के प्रयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे कि विश्वसनीयता एवम् कार्यवाही की स्वतंत्रता बनी रहे।

चुनौतियाँः

पीसकीपिंग मिशनों को अपने अभियानों के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे-

- पीसकीपिंग मिशनां के पास अक्सर सीमित संसाधन होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा उन्हें पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिससे इन मिशनों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है।
- विभिन्न देशों के जटिल सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिदृश्य पीसकीपिंग मिशनों की सफलता में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- कई बार स्थानीय सरकारें तथा अन्य बड़े विद्रोही समूह पीसकीपिंग मिशनों के प्रति असहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं जिसके कारण इन मिशनों का कार्य करना असंभव हो जाता है।
- सम्बन्धित देशों में जन सहयोग न प्राप्त कर पाने के कारण भी पीसकीपिंग मिशन अप्रभावी हो जाता है।

पीसबिल्डिंग (Peacebuilding): पीसबिल्डिंग एक व्यापक, जटिल, दीर्घकालिक एवम् बहुआयामी प्रक्रिया है जो संघर्ष एवम् हिंसा के पश्चात् स्थाई शान्ति के लिये आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करती है। यह हिंसक संघर्ष के गहरे एवम् रचनात्मक कारकों का पता लगाती है। पीसबिल्डिंग में संघर्ष प्रबन्धन के सभी स्तरों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा कानूनी व्यवस्था पर राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करने तथा संघर्ष के मूल कारकों को सम्बोधित करके शान्ति, सुरक्षा एवम् विकास की नींव रखी जाती है। पीस बिल्डिंग संघर्ष को हल करने और न्याय, समानता और सद्भाव को अधिकतम करने वाले तरीकों से स्थाई शान्ति स्थापित करने की प्रक्रिया है। एजेन्डा फॉर पीस (1992) के अनुसार ''पीसबिल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्थाई शान्ति की स्थापना को सुगम बनाती है तथा सुलह, संस्था निर्माण तथा राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से संघर्ष के मूल कारणों और प्रभावों को दूर करके हिंसा की पुनरावृत्ति को रोकने का प्रयास करती है।''[17] इसी प्रकार माइकल मेजे के अनुसार ''पीसबिल्डिंग की केन्द्रीय भूमिका सकारात्मक शान्ति स्थिति और एक स्थिर सामाजिक संतुलन लाना है, जिसके तहत नये विवाद हिंसा या युद्ध में परिणत न हो पायें।''[18]

शान्ति अध्ययन के क्षेत्र में पीस बिल्डिंग शब्द की उत्पत्ति वर्ष 1975 में जोहान गालटुंग ने अपने अग्रणी कार्य ''शान्ति के तीन दृष्टिकोणः पीसमेकिंग, पीसकीपिंग एण्ड पीसबिल्डिंग में इस शब्द को गढ़ा था। इस लेख में उन्होनें कहा है कि ''शान्ति की संरचना पीसकीपिंग तथा तदर्थ पीसमेकिंग से अलग है शायद उससे भी अलग..... शान्ति जिस तंत्र पर आधारित है, उसे सरंचना में बनाया जाना चाहिए और व्यवस्था के लिये खुद को तैयार करने के लिये एक जलाशय के रूप में मौजूद होना चाहिए.... अधिक विशेष रूप से ऐसी संरचनाएँ ढूढं ी जानी चाहिए जो युद्धों के कारणों को दूर करें और उन स्थितियों में युद्ध के विकल्प प्रदान करें जहाँ युद्ध हो सकते है।''[19] ये अवलाके न आज की पीसबिल्डिंग की बौद्धिक धारणा के पूर्ववर्ती हैं। हिंसक संघर्ष के मूलकारणों को सम्बोधित करके और संघर्ष के शान्तिपूर्ण प्रबन्धन और समाधान के लिये स्वदेशी क्षमताओं को उजागर करके स्थायी शान्ति बनाने का लक्ष्य रखने वाला प्रयास करना।

शान्ति अध्ययन के क्षेत्र के एक अन्य प्रमुख विद्वान जॉन पॉल लडे रच के अनुसार ''पीसबिल्डिंग समझौते के बाद पुनर्निर्माण से कहीं अधिक है और इसे एक व्यापक अवधारणा के रूप में समझा जाता है जो संघर्ष को अधिक टिकाऊ, शान्तिपूर्ण सम्बन्धों की ओर बदलने के लिये आवश्यक प्रक्रियाओं दृष्टिकोणों और चरणों की पूरी श्रृंखला को शामिल करता है, उत्पन्न करता है और बनाये रखता है।20 इस प्रकार इस शब्द में कई गतिविधियाँ शामिल होती हैं जो औपचारिक शान्ति समझौते से पहले एवम् बाद होती है। शान्ति को केवल समय के एक चरण या स्थिति के रूप में नहीं देखा जाता है। यह एक गतिशील सामाजिक निर्माण है। सयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान (2001) के अनुसार पीसबिल्डिंग के विभिन्न क्षेत्रों पर कार्य करने के लिये तीन कार्य अति आवश्यक हैंः स्थानीय तथा बाह्य सुरक्षा व्यवस्था को दीर्घ समय तक कायम रखना, राजनीति संस्थाओं एवम् प्रशासनिक संरचनाओं के संस्थापन या उनके पुनर्जीवन को सहज बनाना तथा सामाजिक–आर्थिक पुनर्वासन और परिवर्तन को

प्रोत्साहन आवश्यक है।[21] पीसबिल्डिंग गतिविधियाँ/क्रियाएँः– सतत्पोषणीय शान्ति के लिये पीसबिल्डिंग क्रियाएँ आवश्यक हो जाती हैं। इन्हें हम निम्न रूप में देख सकते हैं–

- सुरक्षा प्रदान करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने की राज्य की क्षमता को बहाल करना।
- कानून के शासन की पुनर्स्थापना करना तथा सत्य आयोगों, मुआवजा और युद्ध अपराधों के लिये मुकदमों जैसे प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना ताकि समाज हिंसा से उबर सके।
- मानवाधिकारों का संरक्षण एवम् संवर्द्धन करना।
- न्याय, विधि का शासन और सुशासन को बढ़ावा देने वाली सरकारी एवम् सहकारी संस्थाओं का निर्माण करना।
- व्यापक आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यक्रमों को शुरू करना जिससे आजीविका के नये साधन उत्पन्न हो तथा गरीबी को खत्म किया जा सके।
- सेना, पुलिस और न्यायप्रणाली को सुधारना और उन्हें अधिक प्रभावी, जवाबदेह तथा मानवाधिकारों का सम्मान करने वाला बनाना।
- विभिन्न जातीय, धार्मिक या सामाजिक समूहों के बीच सहिष्णुता विश्वास एवम् सहयोग को बढ़ावा देना।

चुनौतियाँः–

- शान्ति प्रक्रिया में शामिल विभिन्न पक्षें के बीच वैचारिक असहमति एवं विश्वास की कमी जो पीसबिल्डिंग को कमजोर करती है।
- आधारभूत परियोजनाओं के लिये धन का अभाव।
- समाज में व्याप्त सामाजिक–आर्थिक असमानता शान्ति प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है।
- कमजोर संस्थाएं तथा व्यापक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार आर्थिक पुनर्निर्माण को प्रभावित करता है।
- राजनीतिक अस्थिरता तथा कमजोर सरकारें शान्ति बनाये रखने में विफल रह सकती हैं।

पीसबिल्डिंग एक लम्बी एवम् बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें सरकारें, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और समुदायों का सहयोग आवश्यक होता है। इसका सफलतापूर्वक कार्यान्वयन स्थानीय परिस्थितियों, समावेशी भागीदारी और संघर्ष के संदर्भ की गहन समझ पर निर्भर करता है।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र शान्ति अनुरक्षण संक्रियाएँ पिछलेसात (7) दशकों से विश्व में शान्ति और सुरक्षा स्थापित करने के प्रमुख साधन के रूप में कार्य कर रही हैं। सुरक्षा परिषद् की अधिकृति से संघर्षरत क्षेत्रों में इनकी तैनाती की जाती है, हालांकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में स्पष्ट रूप से इनका उल्लेख नहीं किया गया है। वर्ष 1948 से लके र वर्तमान समय तक 72 शान्ति मिशन तैनात किये जा चुके हैं जिसमें से वर्तमान में 11 सक्रिय हैं। इन मिशनों के अन्तर्गत लाखों सैन्य बल, पुलिस बल तथा नागरिक कर्मियों ने भाग लिया है। इन शान्ति कर्मियों के द्वारा कठिन एवम् चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किये गये सराहनीय कार्य के लिये वर्ष 1988 में शान्ति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र शान्ति अनुरक्षण संक्रियाएँ लम्बी, जटिल एवम् बहुआयामी होती है जो संघर्षरत क्षेत्रों में शान्ति की स्थापना के लिये निरंतर कार्य करती है। ये कार्य पीसमेकिंग, पीसकीपिंग तथा पीसबिल्डिंग के रूप में सम्पन्न की जाती है। पीसकीपिंग मुख्यतः तीन बुनियादी सिद्धान्तों– सहमति, निष्पक्षता तथा आत्मरक्षा के अलावा बल प्रयोग न करना, के आधार पर कार्य करता है। इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर पीसकीपिंग सेनाओं की तैनाती संघर्ष में शमिल पक्षों की सहमति के बाद ही किया जाता है। ऐसी सहमति के अभाव में संघर्ष में एक पक्ष बनने का जोखिम बना रहता है। राजनीतिक पार्टियों की सहमति शान्ति अभियानों को इस बात की बात की स्वतंत्रता प्रदान करती हैं कि वे अपने सैन्य एवम् नागरिक दोनों अभियानों को सुचारू रूप से कर सके। इसके साथ ही इन मिशनों को आंतरिक स्तर पर अनेक प्रकार की नृजातीय एवम् सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रवांडा नरसंहार (1994) तथा सेब्रेनिका नरसंहार (1995) की घटनाओं ने सम्पूर्ण पीसकीपिंग मिशन को चुनौती दी जो अन्ततः' मिशन की समाप्ति के साथ खत्म हुआ। आतंकवादी घटनाएँ, हिंसक संघर्ष तथा कमजोर राज्य शान्ति एवम् स्थिरता के बड़े खतरे के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह एक आम सहमति रही है कि शान्ति, सुरक्षा और स्थिरता बाहरी तत्वों के द्वारा थोपा नहीं जा सकता है। इनको आतंरिक स्तर पर धीरे–धीरे परिवर्तनकारी तथा सहायक कार्यनीतियों
द्वारा पोषित किया जाना चाहिए जो स्थानीय कार्यनीतियों के अनुकूल हो। पीसबिल्डिंग एक बहुआयामी उपक्रम है जो राजनीति, समाज, अर्थ, सुरक्षा, कानून जैसे विभिन्न आधार स्तम्भों पर टिका हुआ है। पीसकीपिंग मिशन की तैनाती के पश्चात् कम अवधि में हिंसा और संघर्ष में रोकथाम लगायी जा सकती है, परन्तु लम्बे समयांतराल में इसके परिणाम सकारात्मक नहीं होंग। सतत् पोषणीय शान्ति के लिये पीसबिल्डिंग क्रियाएँ आवश्यक हैं। इसके अन्तर्गत राज्य की क्षमता की पुनर्बहाली, कानून के शासन की स्थापना तथा मानवाधिकारों का संरक्षण, लड़ाकों का निःशस्त्रीकरण, विस्थापित लोगों का पुनर्वास, वैध राजनीतिक एवम् सामाजिक संस्थाओं की स्थापना ताकि नागरिकों के बीच सहभागिता सुनिश्चित की जा सके तथा सामाजिक–आर्थिक विकास को पुनःस्थापित करने के लिये छोटे उद्योगों की स्थापना, सड़क, पुल, रेलवे, स्कूल तथा अस्पतालों का निर्माण करना। परन्तु हम देखते हैं युद्ध के पश्चात् सामाजिक–आर्थिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया काफी खर्चीली होती है। अधिक आर्थिक बोझ शान्ति अनुरक्षण संक्रियाआं के निरन्तर कार्य करने की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। वित्त का संकट युद्ध के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण तथा बड़ी परियोजनाएँ के क्रियान्वयन को प्रभावित करता है।

संदर्भ सूचि

1. United Nations Charter, Chapter-1 (Art.1)
2. Luther M. Treatise on Marriage, 1530.
3. Cicero M. Letters to Atticus, 1530.
4. Hobbes T. Leviathan, 1651.
5. Galtung J. Violence, Peace and Peace Research, SAGE Publications, 1969.
6. Mahopanishad, Chapter-6, Mantro 71.
7. Galtung J. Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking and peacebuilding. In Peace War and Defense: Essay in Peace Research II (PP292-96), Copenhagen, 1976.
8. Miall H. The Peacemakers: Peaceful Settlement of Disputes Since 1945, palgrave Macmillan, London, 1992.
9. Ramsbotham L, Woodhouse T. Peacemaking and Conflict Resolution, Taylor & Francis, UK, 2000.
10. United Nations Charter, Chapter VI (Art. 33).
11. An Agenda for Peace, Boutros - Boutors Ghali, 1992.
12. Pugh M. Security Studies, 2008, 293.
13. Sebastian S, Gorur A. UN Peacekeeping and Host State Consent: How Mission Navigate Relationships with Government, Stimson Center, 2018, 5.
14. Tsagourias N. Consent, Neutrality/ Impartiality and the use of Force in Peacekeeping: Their Constitutional Dimension, Journal of Conflict and Security Law, 2006, 467.

15. Tellez AP. Explaining the Endurance of the Holy Trinity in United Nations Peacekeeping, Oxford Political Review, 2022.
16. Report of the Panel on United Nations Peace Operations, 2000 (Brahimi Report).
17. An Agenda for peace: Preventive Diplomancy, Peacemaking and Peaceking, UN Department of Public Information, 1992, Newyork.
18. Maiese M. What it means to Build a Lasting Peace, 2003.
19. Galtung J. Three Approaches to Peace: Peacekeeping. Peacemaking and Peacebuilding, Copenhagen, 1976, 297-98.
20. Lederah J. Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies, US Institute of Peace Press, Washington. D.C, 1997, 20.
21. Annan K. "No Exit Without Strategy" Report of the Secretary General to the UN Security Council, 2001.
22. Galtung J. Pioneer of Peace Research, Springer Berlin Heidelberg, 2013.
23. Haward L. UN Peacekeeping in Civil war, Cambridge University Press, UK, 2008.
24. Doyle M, Nichola S. Making war and Building Peace: United Nations Peace Operations, Princeton Univerrsity Press, New Jersey, USA, 2006.
25. Dayal A. Incredible Commitments: How UN Peacekeeping Failures Shape Peace Process, Cambirdge Unversity Press, UK, 2021.
26. Langholtz H. Principles and Guildelines for UN Peacekeeping Operations, Peace Operations Training Institute, Newyork, 2010.
27. Pouligny B. Peace Operations Seen from Below: UN Missions and Local People, Hurst and Company, London, UK, 2006.
28. Walter B. Committing to Peace: The Successful of Civil wars, Princeton University Press, NJ. USA, 2002.
29. Zartman I, Berman M. The Practical Negotiator, New Haven, Yale University Press, CT, USA, 1982.
30. Howard M. Power in Peacekeeping, Cambridge Univerrsity Press, UK, 2019.
31. Paris R. At war's End: Building Peace After Civil Conflict, Cambridge University Press, U.K, 2004.
32. Orr R. Winning the Peace: An American Strategy for post Conflict Reconstruction, Center for Strategic and International Studies, Washington D.C., USA, 2004.
33. Jeong H. Peace Building in Post Conflict Societies, Strategy and Process, Boulder, Co/London: LynneRienner, 2005.
34. Barash D. Approches to Peace: A Reader in Peace Studies, Oxford University Press, UK, 2000.